आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वितीय वर्ष 2026-27 मे व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 5-P(NS)-02/2023/144(10) दिनांक - 01-Sep-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 42100179648010545 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण 01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित 05 - निर्माण State Scheme	62401	RNCMED013 AMRENDRA PRASAD C.S.CUM C.M.O.RANCHI 45 - निर्माण कार्य	80,756,918.00 रुपये आठ करोड सात लाख छप्पन हजार नौ सौ अठारह

State Scheme : STATE HEALTH INFRASTRUCTURE STRENGTHENING & UPGRADATION UPTO DISTRICT LEVEL(1691)

Centeral Scheme : NA

योग: 80,756,918.00

रुपये आठ करोड सात लाख छप्पन हजार नौ सौ अठारह

क्रमिक योग:

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

Run Date: 1/9/2026

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना & 48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S42100179648010545	Total
					निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranchi	RNCMED013	Amrendra Prasad	C.S.Cum C.M.O.Ranchi	₹8,07,56,918.00 (62401)	₹8,07,56,918.00

कुल आवंटित राशि :- ₹8,07,56,918.00 (आठ करोड सात लाख छप्पन हजार नौ सौ अठारह) रूपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

पत्र सं०–05 / पी०(नई यो०)–02 / 2023 / 155(10)

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

दिनांक– 01/09/2026

शुद्धि–पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–138(10) दिनांक–04.08.2026 की कंडिका–6 एवं आवंटनादेश सं०–144(10) दिनांक–11.08.2026 की कंडिका–4 में अंकित "उक्त योजना हेतु आवंटित की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड होंगे" को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"उक्त योजना हेतु आवंटित की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे, जो राशि का एकमुशत हस्तांतरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता में करेंगे"

2. विभागीय आवंटनादेश सं०–144(10) दिनांक–11.08.2026 में प्रेषित संबोधन निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड के स्थान पर सिविल सर्जन, राँची पढ़ा जाय।

3. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–138(10) दिनांक–04.08.2026 की कंडिका–13 एवं आवंटनादेश सं०–144(10) दिनांक–11.08.2026 की कंडिका–6 में अंकित "डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा, राँची" के स्थान पर "राँची कोषागार, राँची" पढ़ा जाय।

4. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

5. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:–05 / पी०(नई यो०)–02 / 2023 - 155(10) राँची, दिनांक– 01/09/2026

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची / अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची / संबंधित उपायुक्त / संबंधित सिविल सर्जन / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / प्राचार्य / अधीक्षक, फूलो–झानो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दुमका / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / प्रभारी पदाधिकारी, PMU कोषांग, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

(92)

पत्र सं०–05 / पी०(नई यो०)–02 / 2023 / 144(10)

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 11/08/2026.

विषयः **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना के अन्तर्गत दुमका जिला में फूलो–झानो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के साथ संबंद्ध करने हेतु बी०एस०सी०, नर्सिंग महाविद्यालय के भवन निर्माण (हॉस्टल ब्लॉक सहित) की योजना हेतु कुल 8,07,56,918/–(आठ करोड़ सात लाख छप्पन हजार नौ सौ अठारह) रूपये मात्र के आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–138(10) दिनांक–04.08.2026 एवं कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक–2040(नि०) दिनांक–21.07.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना के अन्तर्गत दुमका जिला में फूलो–झानो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के साथ संबंद्ध करने हेतु बी०एस०सी०, नर्सिंग महाविद्यालय के भवन निर्माण (हॉस्टल ब्लॉक सहित) की योजना हेतु कुल 8,07,56,918/–(आठ करोड़ सात लाख छप्पन हजार नौ सौ अठारह) रूपये मात्र आवंटित की जाती हैः–

जिला का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश सं० एवं तिथि	प्रशासनिक स्वी० की राशि	एकरारनामा की राशि	अब तक आवंटित राशि	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि
दुमका	फूलो–झानो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के साथ संबंद्ध करने हेतु बी०एस०सी०, नर्सिंग महाविद्यालय के भवन निर्माण (हॉस्टल ब्लॉक सहित) की योजना	138(10) 04.08.26	24,51,10,400	23,07,56,918	15,00,00,000	8,07,56,918	23,07,56,918

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश की सभी कंडिका यथावत रहेंगी। योजना का क्रियान्वयन स्वीकृत्यादेश में अंकित सभी शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव।

(ध्रुव प्रसाद)
उप सचिव

(दिनेश कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

3. व्यय का विकलन राज्य योजनान्तर्गत निम्नलिखित बजट शीर्ष के अधीन उपबंधित राशि से किया जाएगा:–

क्र०	बजट शीर्ष	आवंटित राशि
1.	बजट शीर्ष –4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सहित–48–जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण–01–जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल /स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य **(विपत्र कोड 20एस 4210–01–796–48–01–05–45)**	8,07,56,918

4. उक्त योजना हेतु आवंटित की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड होंगे।
5. इस संपूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।
6. उक्त योजना हेतु आवंटित राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जाएगी।
7. राशि निकासी के पूर्व विपत्र/चेक पर आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाएगा एवं यह प्रमाणित किया जाएगा कि प्रस्तुत विपत्र/चेक प्रशासनिक स्वीकृत राशि एवं आवंटित राशि के अन्तर्गत है। कार्यकारी एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के मुख्य अभियन्ता /अधीक्षण अभियन्ता योजना की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरुप हो। राशि की निकासी पारित विपत्र के आधार पर की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में राशि की अग्रिम निकासी नहीं की जाएगी।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रुप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
9. जिस शीर्ष के अन्तर्गत राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अन्तर्गत व्यय भारित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अन्तर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
10. कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का मूल्यांकन इस उद्देश्य से चयनित Third Party Quality Control एजेन्सी से कराना सुनिश्चित करते हुए उसका प्रतिवेदन नियमित रुप से प्राप्त किया जाएगा। राशि का भुगतान Quality Control जाँच कराए जाने के बाद ही किया जाएगा। योजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाएगा।
11. योजना की लागत राशि में किसी प्रकार की बढ़ोतरी के मामले में झारखण्ड पी०डब्ल्यू० डी० कोड के सुसंगत नियमों एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के ज्ञापांक–1269, दिनांक–21.09.2023 के आलोक में निर्णय लिया जाएगा।
12. उपलब्ध कराए जाने वाली राशि का व्यय सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रावधानों के आलोक में सभी प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाएगा।
13. इस योजना का कार्य तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर प्राक्कलित विशिष्टयों एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए सम्पन्न कराया जाएगा।
14. आवंटित की जाने वाली राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक–2561 वि०, दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–1800 (वि०), दिनांक–15.07.2003 के आलोक में होगा।
15. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा योजना हेतु चयनित स्थल का विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराकर सत्यापन हेतु अभिलेख के रूप में मुख्यालय में रखा जाएगा।
16. इसी प्रकार, प्रत्येक असैनिक एवं अभियंत्रण कार्य कराने के पूर्व एवं उसके बाद उचित फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराकर उसे सत्यापन हेतु अभिलेख के रूप में रखा जाएगा।
17. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के संबंधित अभियंता/अधीक्षण अभियंता योजना की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

(आनन्द कुमार सिन्हा)	(ध्रुव प्रसाद)	(दिनेश कुमार यादव)	(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव।	उप सचिव	संयुक्त सचिव।	अपर मुख्य सचिव।

18. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग–01) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश / वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढतापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियन्ता / कार्यपालक अभियन्ता का दायित्व होगा।

19. पर्यवेक्षकीय अभियन्ताओं द्वारा नियमित रूप से कार्य का स्थल निरीक्षण किया जाएगा तथा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति कार्य स्थल एवं मुख्यालय में रखी जाएगी।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

21. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार एवं स्वास्थ्य विभाग को समर्पित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–05 / पी०(नई यो०)–02 / 2023 144(10) राँची, दिनांक– 11/08/2024

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची / अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची / संबंधित उपायुक्त / संबंधित सिविल सर्जन / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / प्राचार्य / अधीक्षक, फूलो–झानो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दुमका / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / प्रभारी पदाधिकारी, PMU कोषांग, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा)	(ध्रुव प्रसाद)	(दिनेश कुमार यादव)	(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव।	उप सचिव	संयुक्त सचिव।	अपर मुख्य सचिव।